

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या- वि० प्रा० (I) नियुक्ति-09/2018/ 1989 /पटना, दिनांक - 3-8-2018

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 43/2014 के आलोक में आयोग के पत्रांक 57 दिनांक 12.06.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान पीबी-3, 15600-39100 + एजीपी 5400/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के अधीन व्याख्याता (भौतिकी) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पद एवं पदस्थापित रा० पो० संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पिन्दु कुमार यादव, S/o- श्री नन्दजी यादव, ग्राम- रेपुरा, पो०- रेपुरा, जिला- बलिया (उ०प्र०)- 277401	सामान्य	2	बलिया (उ० प्र०)		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा
2.	श्री रजनी कान्त कुशवाहा, S/o- श्री मंगला दास कुशवाहा, पटेल नगर, सामने घाट, भगवानपुर, रमना (उ०प्र०)-221011	सामान्य	4	वाराणसी (उ० प्र०)		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, कैमूर
3.	मो० जहीर अब्बास, S/o- मो० आलम आर-जेड 82/2, गली नं०- 02, तुगलकाबाद एकसेटन्सन, नई दिल्ली-110019	सामान्य	5	नई दिल्ली		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास
4.	श्री सत्येन्द्र नारायण कुँवर, S/o- श्री विशेश्वर कुँवर ग्राम- हरियरी, पो०- सुग्गापट्टी, थाना- फुलपरास, जिला- मधुबनी- 847409	सामान्य	6	मधुबनी		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा
5.	श्री मनोज कुमार, S/o- श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह C/o- श्री बैजनाथ साह, (कोयला डीपो), ग्राम+पो०- सेमापुर, जिला- कटिहार- 854115	पिछड़ा वर्ग	7	लखीसराय		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार
6.	श्री चन्दन कुमार मिश्रा, S/o- श्री सुरेन्द्र मिश्रा स्टेशन रोड, सुरत गंज, (मिश्रा क्लासेज), अशोक होटल के नजदीक, वार्ड-18, जिला- मधुबनी- 847211	सामान्य	8	मधुबनी		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज
7.	श्री उपेन्द्र रविदास, S/o- श्री रामचन्द्र रविदास ग्राम+पो०-भोभी, थाना- नगरनौसा, जिला- नालंदा- 801302	अनुसूचित जाति	9	नालंदा		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली

8.	श्री धनंजय कुमार सिंह, S/o- श्री इन्द्रदेव सिंह ग्राम+पो0- पूर, जिला- बलिया (उ०प्र०)-277123	सामान्य	12	बलिया (उ० प्र०)		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, सीवान
9.	श्री ऋषिकेश पाण्डेय, S/o- श्री उदय नाथ पाण्डेय ग्राम-भरखर, पो0 -मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भमुआ)- 821109	सामान्य	13	कैमूर		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, बक्सर
10.	श्री कुल शेखर मेहता, S/o- श्री खेम राज मेहता ग्राम-आशिक नगर, पो0+थाना- मोहम्मदगंज, जिला- पलामू (झारखण्ड)-822120	सामान्य	14	पलामू (झारखण्ड)		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, सहरसा
11.	मो0 ओसामा, S/o- मो0 जमालुद्दीन C/o- वसीम अख्तर, बिहारी साव लेन, पो0- बाँकीपुर, जिला-पटना- 800004	सामान्य	51	प0 चम्पारण		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, मुजफ्फरपुर
12.	श्री पंकज कुमार बैठा, S/o- श्री शिव कुमार बैठा गाँधीनगर, पो0- सीतारामपुर, जिला-वर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)- 713359	अनुसूचित जाति	47	सारण		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, लखीसराय
13.	श्री पप्पु पासवान S/o- श्री जागेश्वर पासवान ग्राम- अहियापुर, पो0- अदलपुर, थाना- सदर दरभंगा, जिला- दरभंगा-847115	अनुसूचित जाति	53	दरभंगा		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, मधुबनी
14.	श्री रवि कुमार S/o- श्री कुलवंश पासवान ग्राम- सुरुगा विगहा, पो0- करियादपुर, थाना- फतेहपुर, जिला- गया- 824232	अनुसूचित जाति	56	गया		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, नवादा
15.	श्री टिकु अली, S/o- श्री शमतबरेज आलम ग्राम- मधुरापुर, पो0- नारायणपुर, थाना- भवानीपुर (विहपुर), जिला- भागलपुर- 853203	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	15	भागलपुर		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, अररिया
16.	मो0 कैसर हाशमी S/o- मो0 शफीक हाशमी, ग्राम- बासोपट्टी (महावीर चौक), पो0- बासोपट्टी, जिला- मधुबनी- 847225	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	31	मधुबनी		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, समस्तीपुर
17.	मो0 शम्स नदीम, S/o- मो0 जसीम उद्दीन, ग्राम- खराड़ी आलमगंज, पो0- बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा- 803101	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	39	नालन्दा		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, शेखपुरा
18.	श्री सिकंदर कुमार, S/o- श्री प्रकाश मण्डल, रेणु गाँव, औराही हिंगना, पो0- औराही हिंगना, थाना- सिमराहा, जिला- अररिया- 854318	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	40	अररिया		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटैकनिक, किशनगंज

19.	श्रीमती नीतू कुमारी, D/o- श्री कमल कुमोद विश्वास, ग्राम- फरियानी, पो0- खोखा, जिला- पूर्णियाँ- 854304	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	41	पूर्णियाँ		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटिकनिक, पूर्णियाँ
20.	श्रीमती मंजु कुमारी, D/o- श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह वंशीचरण कुटीर, अम्बेदकर नगर, रूपसपुर, पो0- धनौत, जिला- पटना- 801506	पिछड़ा वर्ग	19	पटना		व्याख्याता (भौतिकी), नवीन राजकीय पोलिटिकनिक, पटना- 13
21.	श्रीमती सुषमा कुमारी, D/o- श्री हरि नारायण प्रसाद सिंह, प्रोफेसर कॉलनी, धनेश्वर घाट, बिहारशरीफ, जिला- नालन्दा-803101	पिछड़ा वर्ग	22	नालन्दा		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटिकनिक, अस्थावों
22.	श्रीमती मनीषा कुमारी, D/o- श्री राम शरण यादव 203/A, धनेश दत्त अपार्टमेन्ट, गोला रोड, जिला- पटना- 801503	पिछड़ा वर्ग की महिला	24	मुंगेर		व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटिकनिक गुलजारबाग, पटना-7

- इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ व्याख्याता (भौतिकी) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।
- सभी नव नियुक्त व्याख्याता (भौतिकी) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- इनकी यह नियुक्ति सम्पुष्ट होने तक अस्थायी होगी।
- ऐसे नव नियुक्त व्याख्याता (भौतिकी) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/ संस्थान का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्रि पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
- सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी—उह—
असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के
समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने
वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा
अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-09/2018/ 1989 /पटना, दिनांक- 3-8-2018
प्रतिलिपि – श्री/सुश्री/श्रीमती- पिता/पति का नाम-

फोटो

..... ग्राम/मो०-
..... जिला- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-09/2018/ 1989 /पटना, दिनांक- 3-8-2018
प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-09/2018/ 1989 /पटना, दिनांक- 3-8-2018
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग),
विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-09/2018/ 1989 /पटना, दिनांक- 3-8-2018
प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार,
पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त
सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित अभ्यर्थियों/सभी पदाधिकारियों एवं
आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यों को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त व्याख्याता का योगदान
उनके मूल नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जायेगा तथा इनका शैक्षणिक एवं अन्य संगत
प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को
तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के विशेष सचिव